I/541597/2024

जारी अधिष्ठान आलेख 15/4/2024

जारी
15-04-2024

संख्या–485(1)/39-04-2024-25-002-39-4-002-001-2-2023

प्रेषक,

आत्म प्रकाश पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उ0प्र0,लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2024

विषय – वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-82 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष-4070-800 अन्य व्यय-04-सतर्कता निदेशालय-26-मशीनें और सज्जा /उपकरण संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-82 पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष-4070-800 अन्य व्यय-04-सतर्कता निदेशालय-26-मशीनें और सज्जा /उपकरण संयंत्र मद (मतदेय) में प्राविधानित धनराशि रू0-11,50,000.00 (रू0 ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को प्रस्तर-2 में अंकित लेखाशीर्ष/मद के विवरणानुसार आहरित कर व्यय करने हेतु निम्नवत् शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों

(1) निर्वतन पर रखी जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेंशियल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि के किसी मद का अन्तरण दूसरे मद में न किया जाय और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए ही की जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा एवं आहरित की गई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह शासन, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 व महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 4070008000400 सतर्कता निदेशालय **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by आत्म प्रकाश पाण्डेय
Date: 15-04-2024 17:25:35
Reason: Approved
(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी,उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
(7) आदेश पुस्तिका ।

आ0प्रकाश।
(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।